

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर

पत्रांक:- 2050 / 13-1

ललितपुर, दिनांक:- 06 दिसम्बर / 2022

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,  
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),  
डोढ़ा घाट, ललितपुर।

विषय- **Diversion of 8.161809 Hectare forest land for laying of Drinking water distribution pipeline (Total 97.56) under Jakhlaun Birdha, Dhorra Balabehat, Kadesara Kalan and Mau Group of village water supply scheme, District-Lalitpur (U.P.).**

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक-1968/13-1, दिनांक 30.11.2022।

प्रस्ताव सं०-FP/UP/Water/155091/2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बिछायी जा रही पेयजल पाइपलाइन परियोजनाओं की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत अनुमति हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव में संरक्षित वन भूमि (2.02 हे०) एवं आरक्षित वन भूमि (6.14 हे०) प्रभावित हो रही है, जिसके क्रम में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि, अर्थात् 6.14 हे० गैर वन भूमि, जो अतिक्रमण मुक्त एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो, इस वन प्रभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रस्ताव में समतुल्य गैर वन भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु व्यय प्रमाण पत्र एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण व्यय सहित प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा सके, परन्तु अभी तक आप द्वारा उक्त प्रस्ताव में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिस कारण प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रेषित करने में विलम्ब हो रहा है।

अतःआपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण में समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
ललितपुर

पत्रांक :- / सम दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ०प्र०, झांसी।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी।
4. जिलाधिकारी, ललितपुर।
5. अपर जिलाधिकारी/नमामि गंगे, ललितपुर।

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
ललितपुर